



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 153]  
No. 153]नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 27, 2008/चैत्र 7, 1930  
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2008/CHAITRA 7, 1930

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2008

सा.का.नि. 229(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) और (2) तथा नियम 7 के उप-नियम (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय हरियाणा सरकारों के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित बनाती है, अर्थात् :-

1. (i) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन), षष्ठम् संशोधन विनियमावली, 2008 है।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "हरियाणा" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

हरियाणा

1. हरियाणा राज्य के अन्तर्गत वरिष्ठ ड्यूटी पद

115

पदों का नाम	पदों की संख्या	तैनाती की न्यूनतम अवधि (वर्षों में)
(1)	(2)	(3)
सरकार के मुख्य सचिव	1	-
वित्तीय आयुक्त/प्रमुख सचिव	1	2

वित्त आयुक्त/प्रमुख सचिव/सदस्य, बिक्री कर	11	2
प्रभागों के आयुक्त	4	2
सरकार के सचिव	15	2
परिवहन आयुक्त	1	2
निषेध, उत्पाद तथा कराधान आयुक्त	1	2
आवास आयुक्त, हरियाणा भवन, नई दिल्ली	1	2
रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ	1	2
निदेशक, कृषि	1	2
मुख्य चुनाव आयुक्त	1	2
राज्यपाल के सचिव	1	2
निदेशक, उद्योग	1	2
निदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन सह-शहरी		
सम्पदा एवं उप निवेशन	1	2
निदेशक, उच्च शिक्षा	1	2
राज्य परिवहन नियंत्रक	1	2
संयुक्त/उप सचिव, राज्य सरकार	17	2
श्रम आयुक्त	1	2
खाद्य एवं आपूर्ति निदेशक	1	2
निदेशक, जन-सम्पर्क, शिकायत एवं सांस्कृतिक		
मामले	1	2
निदेशक, आतिथ्य एवं पर्यटन	1	2
चकबंदी, भूमि रिकार्ड निदेशक एवं विशेष कलेक्टर	1	2
निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा		
अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण	1	2
निदेशक, महिला एवं बाल विकास	1	2
औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशक	1	2
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा	1	2
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	1	2
निदेशक, पर्यावरण	1	2
निदेशक, खेलकूद	1	2
निदेशक, विकास एवं पंचायत	1	2
निदेशक, ग्रामीण विकास और संस्थानात्मक वित्त	1	2
निदेशक आपूर्ति एवं निपटान	1	2

निदेशक, स्थानीय निकाय	1	2
उप-आयुक्त	19	2
अतिरिक्त वाणिज्यिक कराधान आयुक्त	1	2
अतिरिक्त उप आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/अपर कलेक्टर	19	2
कुल	115	—

2.	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिज़र्व, उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत की दर से	46
3.	राज्य प्रतिनियुक्ति रिज़र्व, उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत की दर से	28
4.	प्रशिक्षण रिज़र्व, उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत की दर से	04
5.	छुट्टी रिज़र्व और कनिष्ठ पद रिज़र्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत की दर से	19
6.	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1,2,3 तथा 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं	64
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद संख्या 1+2+3+4+5-6)	148
	सीधी भर्ती वाले पद	148
	पदोन्नति वाले पद	6
	कुल प्राधिकृत संख्या	212"

[सं. 11031/3/2001-अ.भा.से.-II(क)]

चैतन्य प्रसाद, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी (1) : इस अधिसूचना के जारी करने के पूर्व छत्तीसगढ़ संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या 212 थी ।

टिप्पणी (2) : मूल विनियम 22 अक्टूबर, 1955 की एस.आर.ओ. सं. 3350 के अंतर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे । तत्पश्चात् हरियाणा के संबंध में इन विनियमों में संशोधन निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं और तारीखों द्वारा किए गए ।

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	दिनांक	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	दिनांक
1	1089	06.10.1973	12	190	26.3.1988
2	980	14.9.1974	13	310	6.5.1989
3	4713A	29.8.1975	14	453A	1.2.1990
4	7823A	31.8.1976	15	479	31.10.1992
5	126	29.1.1977	16	98	20.2.1993
6	1125	16.1978	17	280	5.6.1993
7	1277	28.10.1978	18	6563A	15.10.1993
8	160	3.2.1979	19	3193A	31.3.1995
9.	7003A	17.12.1980	20	4443A	27.9.1996
10.	614	4.7.1981	21	7393A	31.12.1997
11	931	10.12.1983	22	311	3.9.2003

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**  
(Department of Personnel and Training)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th March, 2008

**G.S.R. 229(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 and sub-clause (C) of Rule 7 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Haryana, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (i) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Sixth Amendment Regulations, 2008.  
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "Haryana" and the entries occurring thereafter, the following shall be substituted namely:—

**"HARYANA**

**1. Senior Duty Posts under the State Government 115**  
**of HARYANA**

Name of the Post	Number of posts	Minimum tenure of postings (In years)
Chief Secretary to the Govt.	1	-
Financial Commissioner/ Principal Secretary	1	2

Financial Commissioner/Principal Secretary / Member, Sales Tax Tribunal	11	2
Commissioner of Divisions	4	2
Secretary to Government	15	2
Transport Commissioner	1	2
Prohibition, Excise and Taxation Commissioner	1	2
Resident Commissioner, Haryana Bhavan, New Delhi	1	2
Registrar, Cooperative Societies	1	2
Director, Agriculture	1	2
Chief Electoral Officer	1	2
Secretary to Governor	1	2
Director, Industries	1	2
Director, Town and Country Planning-cum-Urban Estate and Colonisation	1	2
Director, Higher Education	1	2
State Transport Controller	1	2
Jt/Deputy Secretary to Government	17	2
Labour Commissioner	1	2
Director of Food & Supplies	1	2
Director, Public Relations, Grievances and Cultural Affairs	1	2
Director, Hospitality and Tourism	1	2
Director of Consolidation, Land Records and Special Collector	1	2
Director, Social Justice and Empowerment and Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes	1	2
Director, Women and Child Development	1	2
Director of Industrial Training	1	2
Director, Primary Education	1	2

Director of Secondary Education	1	2
Director, Environment	1	2
Director, Sports	1	2
Director, Development and Panchayats	1	2
Director, Rural Development and Institutional Finance	1	2
Director of Supplies and Disposals	1	2
Director of Local bodies	1	2
Deputy Commissioner	19	2
Additional Commercial Taxation Commissioner	1	2
Additional Deputy Commissioner-Cum-Chief Executive Officer, District Rural Development Agency/Additional Collectors	19	2
<b>TOTAL</b>	<b>115</b>	
<b>2 Central Deputation Reserve @ 40% of item 1 above</b>	<b>46</b>	
<b>3 State Deputation Reserve @ 25% of Item 1 above</b>	<b>28</b>	
<b>4 Training Reserve @ 3.5% of Item 1 above</b>	<b>4</b>	
<b>5 Leave Reserve and Junior Posts Reserve @ 16.5% of Item 1 above</b>	<b>19</b>	
<b>6 Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33.3% of Item 1,2,3 &amp; 4 above</b>	<b>64</b>	
<b>7 Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)</b>	<b>148</b>	
<b>Direct Recruitment Posts</b>	<b>148</b>	
<b>Promotion Posts</b>	<b>64</b>	
<b>TOTAL AUTHORISED STRENGTH</b>	<b>212"</b>	

**Note 1 :** Prior to the issue of this notification, the total authorised strength of the Haryana cadre was 212.

**Note 2 :** The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350 dated the 22<sup>nd</sup> October 1955. These were subsequently amended in respect of the Haryana Cadre vide the following GSR Nos. and dates:-

S.No.	GSR NOS	DATE	S.No.	GSR NOS	DATE
1	1089	6.10.1973	12	190	26.3.1988
2	980	14.9.1974	13	310	6.5.1989
3	471E	29.8.1975	14	45E	1.2.1990
4	782E	31.8.1976	15	479	31.10.1992
5	126	29.1.1977	16	98	20.2.1993
6	1125	16.1978	17	280	5.6.1993
7	1277	28.10.1978	18	656E	15.10.1993
8	160	3.2.1979	19	319E	31.3.1995
9	700E	17.12.1980	20	444E	27.9.1996
10	614	4.7.1981	21	739E	31.12.1997
11	931	10.12.1983	22	311	03.09.2003